

November 03, 2020

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Scrip Code: 539199

Sub: Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 29(1)(a) and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Copy of Newspaper advertisement of the Notice of Board Meeting to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020 published in 'Mahalaxmi Bhagyoday' (Hindi) & 'Money Makers' (English) dated November 03, 2020.

Thanking you,

For Moongipa securities Limited

Sanjeev Jain

Company Secretary and Compliance Officer

E-mail: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net

# Hotels and guest house owners worried about fire clearance

MM BUREAU

New Delhi/November 02

Two mouths after they were allowed to reopen their businesses, owners of hetels and guest houses in the national capital are a worried lot. While their businesses were already badly hit due to the Covid-19 pandemic, a lack of clarity about new fire safety norms, notified by the Delhi government in May last year, have compounded their concerns.

The Delhi Hetel and Restaurant Owners Association (DHROA) met state urban development Satyendar Jain last month to request him to extend by a year the deadline for the implementation of the new

norms that are currently under review. The oxisting deadline was March 21, 2020. The Delhi government had notified the new fire safety norms in May, three months after a fire in Karol Bagh's Arpit Palace hotel claimed 17 lives.

But following objections raised by hotel and guest house owners, the Delhi government had in November last year constituted a sub-committee chaired by a special commissioner of police (licensing) to review and make a pprepriate ponce (licensing) to review and make appropriate recommendations for fire safety in these institutions. safety in these institutions.
The owners were given time
till March 31 this year to
comply with the new norms.
Mohit Shah, general



should carry out changes as per the new norms or not, as the status of the new fire safety norms is. We are in a Catch-22 situation. Our establishments have clearance from the fire department as per the old norms. We don't know if we however, this committee

should carry out changes as per the new norms or not, as there is no clarity about the new norms. We want the deadline to be extended till March 31, 2021 so that we can run our businesses without

to be submitted in the coming week."

When contacted, Jain said, "We will extend the time for compliance due to the Covid-19 situation."

Hotel owners said they want the deadline to be extended at the earliest.

Murli Mani, owner of a hotel in Karol Bagh and DHROA chairman, said, "The business is badly hit due to Covid. We are operating the business in fear due to a lack of clarity about the fire use ousmess in fear due to a lack of clarity about the fire norms. In case there is a fire incident, will the existing fire

What will happen to those people?

senior Delhi Fire Services (DFS) official, who asked not to be named, said, "Those who have not compiled with the changes notified in May 2019, do not technically have a valid NOC. As the deadline for implementation has not been extended and the amendment to the new rules not notified, the rules that were notified in May are in force."

As per the new amendments, kitchen or cooking activity in any form

amendments, kitchen or cooking activity in any form is not allowed on rooftops or basements of buildings,

and storage of inflammable materials or temporary roofing is banned in terraces. Besides, inflammable materials — like carpets and wooden or foam panellings— are not allowed on passages, corridors and staircases of buildings, and storage of gas cylinders in violation of standards prescribed by the National Building Code is also banned.

National Building Code is also banned.

The hotel owners had raised objections to a few provisions in the amendment, such as installation of Carbon monoxide detectors and fire hock or protection doors, and no fire NoCs to hotels with more than four floors. We had objected to installation of fire check doors in guesthouses and suggested that sprinklers

be allowed. There were other issues which we had raised. We want our fire NOC to be considered valid till next year. The government should notify the new norms at the earliest," said Boddy Lohia, president of Mahipalpur hoto owners' association.

Formor DFS chief AK Sharma said that the government should notify the new norms so that hotel owners can comply with it. "The government should take cognisance and extend the deadline for implementation. Now that the deadline for implementation has not been extended so far, the new rules notified in May are currently in force, But hotel owners can't be held responsible as the government.

### Delhi Govt lists over 800 open spaces for residents to burn crackers during Diwali

MM BUREAU

New Delhi/November 02

The Delhi government has published a list of over 800 open spaces across the city where people will be permitted to burn "green" firecrackers between 8pm and 10pm on Diwali.

The list comes even as the Delhi government is scheduled to launch a campaign on Tuesday urging people not to burn fire crackers this Diwali in light of air pollution, which is a greater concern this year

is a greater concern this year owing to the present Covid-19

crisis.

Diwali this year will be colebrated on November 14.

Delhi environment minister Gopal Rai, in line with a 2018 Supreme Court order, said the government has allowed the manufacture and said of only green. and sale of only green crackers, which contain fewer polluting substances as



and are less noisy as well.
In 2018 and 2019,
despite the ban on the sale of
traditional crackers and due
to the low availability of lowemission varieties, pollution spike after Diwali. Till last year, green varieties of only 'phuljhari' (sparklers), rocket and 'anar' (flower pots) were

te people to not burn any fire crackers at all this year. Because of the ongoing Covid-19 pandemic, health bazarls due to air pollution cculd turn more dangerous. If anyone really wants to burn firecrackers, then please use only green crackers."

Ramleela ground in Laxmibai Nagar, Ajmal Khan Park in Karel Bagh, Sudarshan Park in Moti Nagar, West Mehram Nagar Park in Delhi Cantonment, CBD ground opposite Hotel Leela and Gandhi Park in Saket.

Gandhi Park in Saket.

A senior government official said the list was released to ensure that even if people choose to burn green firecrackers, they do it in common locations that are more open, instead of streets, lanes and parking areas in residential areas.

Local value

in the government's revenue department said.

BS Vohra, president of East Delhi resident welfare associations' front, said: "We shall be asking members to celebrate Diwali without to celebrate Diwali without firecrackers this year. We have already started campaigns through social media platforms. The initiative on part of the government to identify locations for community elebrations reflect good intent, but it can't be said how much it can actually persuade people. We need better awareness campaigns and stricter enforcement of existing norms.

existing norms."
A total of 260 applications for fireracker shop licences have been received so far by Delhi Police, which issued 138 licences till Thursday a number much higher residential areas.

La cal police and administration officials are also likely to set a cap on the size of gatherings in each open space. Enforcement teams will also remain active during Diwali, a senior official 40 and 10 areas with the compared to 2019 when only during Diwali, a senior official 40 and 10 areas with the compared to 2019 when only during Diwali, a senior official 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when only 40 areas when the compared to 2019 when the com

had received permission to sell firecrackers. Eligible shopkeepers can start selling from Monday.

Anumita Roychowdhury, executive director at the Centre for Science and Environment, said: "The government has to invest in an intensive campaign this year to encourage people not to burn firecrackers. The air pollution problem and spike no covid-19 cases together can create a health disaster. With issuing a list of designated locations for burning firecrackers and setting a time window, the government is apparently trying to ensure that residential areas witness less pollution because of firecrackers during Diwali. But, with that, the government should also make for the course of th

#### AAP calls North MCD 'corrupt', demands CAG probe; BJP says allegation 'baseless'

BJP says allegation 'baseless'

MM BUREAU/New Delhi/November 02

The Aam Aadmi Party (1AAP) on Sunday accused the Bharatiya Annata Party (1B-P)-ed North Delhi Municipal Corporation of corruption, and said the civic body has been under-recording the amount of property tax it has collected every year, and demanded the Comptroller and Auditor General (CAG) investigate the natter. The BJP, which governs the three municipal corporations in the city, hit back, calling the allegations 'baseless'. "The North MCD should be collecting 22,100 crore as property tax from 12 lakh people every year, but records show that only 2700 crores is collected annually from four lakh people. The remaining 11400 crore is siphoned off, "said Durgesh Pathak, AAP's in charge of municipal corporation affairs. He also said, "The BJP leaders are looting 11400 crores collected by the MCD in the name of property tax, due to which they cannot pay their employees — dectors, nursing staff, teachers and sanitation workers. AFP demands that this matter should be thoroughly investigated by the CAG." BJP's Delhi unit spokosperson Praveren Shankar Kapor said, "AAP is a bunch of people who are experts on baseless statements. The party is in power in the Delhi government, and if they feel there is any kind of seam in MCDs they are free to recommend at CBI (Caterta Bureau of Investigation) probe, or else they should stop churning baseless allegations." of Investigation| probe, or else they should stop churning baseless allegations."

#### 'Baba Ka Dhaba' owner accuses YouTuber of misappropriation of funds



Ironically, Prasad's despair had come to light when Wasan captured the eatery owner breaking down as he talked about his struggles in a videe shared on the YouTuber's social media account. In his complaint to police, Prasad said Wasan shot his video and posted it online and convinced the public on social media to donate mone of the eatery onwer. He further alleged that Wasan "intentionally and deliberately shared only his and his family fivineds bank details and mobile numbers with the donors and collected huge amount of donation through different mode of payments i.e bank account/wallets without providing any information the complainant". The owner of the food joint also accused the YouTuber .

### Delhi Police subinspector kills himself with service pistol



MM BUREAU

New Delhi/November 02

A sub-inspector (3-1) of Delhi Police allegedly killed himself with his service pistol at his residence in Outer Delhi's Mohan Gardon near Ranhola early in the morning on Monday. Police officers said they have learnt that the 25-year-old 8-1, who was posted at a police station in outer district, killed to the contract of the contr

Delhi Govt mulls

cigarettes, beedis

ems as they

ban on sale of loose

MM BUREAU New Delhi/November 02
The Delhi government is mulling to ban the sale of loo arettes and beedis to discourage people from consuming sums as they are injurious to health.

nior government official said on condition of anonymit

A senior government official said on condition of anonymity that the Maharashtra government had imposed a similar ban in September last year. This matter is still being discussed and is at a very initial stage at the moment. Legally, it is possible. The rule laid down by the central government states that on berson can trade or do commerce in eigenvettes or any other tobacco product, unless when such product is sold, supplied or distributed by himber, it bears thereon on its label the specified health warning, "said the official. The ban can be imposed under sub-section 2 of section 7 of the eigenvettes and other tobacco products (prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce production.

rce, production

### North-east Delhi riots HC sets aside trial court's order granting bail to private school principal said, "The accused has been charged with criminal conspiracy. His absence from the spot does not absolve him of his liability in this case." In their charge sheet, the police had claimed that the rioters had camped inside and fired bullets from the terrace of Rajdhani School. They also threw petrol bombs, acid, bricks, stones and other missiles using an improvised large iron catapult, specially

New Delhi/November 02
The Delhi high court
on Monday set aside a trial
court order granting bail to
Rajdhani School principal Faisal Farooq, an accused in the north-east Delhi riots, while stating that "the entire country is aggrieved by the action of such offenders who



action of such offenders who terrish the basic secular fabric of the nation and needs to be punished severely.

Cancelling the bail granted to Furoque June 20 by additional sessions Judge Vinod Yada, Justice Suresh Kati said that he lower court while deciding an application for bail, the society's interest is also to be safeguarded. He said that 'Personal liberty of an individual, though precious, is of little value if the larger interest of the people and nation are at

### MOONGIPA SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC057941 Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi -110005. Tel: +91-011-4150121 moongipas@gmail.com Websile: www.moong

Email: moongipas@gmain.com
NOTICE
irsuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obl

Disclosure Requirements Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to approve the Standardone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020. Investor may just the Websites of the Company waw.mompilips.net and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For MOONGIPA SECURITIES LIMITED

Date: November 02, 2020 Company Secretary & Corp MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

CIN: L65993DL1987PLC028669 Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005. Ph.: 011-41450121 Email: monogipac@gmail.com Website: www.mongi

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020, intel alls, to consider and approve the Standalsten Unaudited Francial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020, 10 (2020). Investor may wait the Websites of the Company www.norpipa.com reparts.

For MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

Sd/Date: November 02, 2020 Company Secretary & Compliance Officer
Place: Delhi

Sd/Guishan Ahuja
Place: Delhi

For White Trading Could
Ashay Khure
Place: New Delhi
Date 22.11.2078

Compliance Officer

Front of India, Pinjra Tod group, Jamia Coordination Committee, and other persons, which indicate the depth of the conspiracy. While cancelling Farooq's bail, the judge CAPITAL FINVEST LIMITED Regd. Office: 1002, Arunachal, 9 Barakhamba Road, New Delhi-11000 Phone: 23718583, 23315050, Website: www.capfin.in.

Phone: Zar Tues-, aprillinin, Website: www.capfinin, Emsil: capital@glyahoo.com CDI:: L57200.145NP.C016578 NOTICE Notice is hareby given that the emeiting of the Board of Directors of the Company wil-be held on Wednesday, the 11th November, 2020 to approve the unaudified for the company of the co the Board or annual control to the board or annual control to the held on Wednesday, the November, 2000 to approve the unaudified interactive resists of the Company for the ascend quarter and half year anded 30m. September, 2000 and annual control to the control to the vehicle of the Company is the unbounded on the vehicle of the Company is the stock exchange, www.maplin. and on he website of the stock exchange, www.maplin. and on he website of the stock exchange, www.maplin. and on he website of the stock exchange, www.maplin. and on he website of the stock exchange, www.maplin. and on he website of the stock exchange, www.maplin. and on he website of the stock exchange.

w beeincle.com. By order of the Board For Alhijit Trading Co Ltd 5-0.

missiles using an improvised large iron catapult, specially installed for the purpose, from the terrace. Police also said that on February 24, the day of the riots, many children had been told to leave the school early, along with their parents, during the half time. CIN LOSSODY, WARP LOSSON States, Beg & Ott 47/18, Resembler There Metter Stations, files Losto 1-1000 Email Int Medicine, 1 and 600 great con Website: www.serimons.stationglessors.com ph. 511-47/190 NOTICE

Place: New Delhi

For Abstrace Technical Decision (1998) List under Control (1998) List

Market and exhaustic residence in the control of th

Ravi Kumer Dhaker
Cempany Secretary & Place: Gurugram Company Secretary & Place: Gurugram Company Secretary & Place: New Delhi Cempany Secretary & Company Officer Date: 02.11.2020 Complance Officer Date: 02.11.2020 Complance Officer

| Place No Dark | Date : 00.476(2)| | Date : 02.11.2020 | Complaine Office | Date : 02.11.2020 |

Middles were absented to the Tortical Middles were absented only as a few of the Tortical Middles were absented to the Control Middles were absented to the Control Middles of the Cont

SUR INVAS LESING AND FRANCE LIMITED

SEE OF URLESSING AND FRANCE LIMITED

Sag do not URL Assert from the Company from the Com

## डीयू के 12 कॉलेजों के टीचर्स को छात्र निधि से

## वेतन देने पर रोक का आदेश वापस लेने से इनकार

**नई दिल्ली, 02 नवम्बर** दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार

को दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए छात्र निधि के पैसे का इस्तेमाल करने के अरविंद केजरीवाल सरकार के आदेश पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिवा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।

जस्टिस ज्योति सिंह ने दिल्ली सरकार के उस मांग को उकरा दिया जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देने के उसके निर्देश पर रोक लगाने के आंदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था। उन्होंने सरकार से कहा कि पहले हलफनामा दाखिल

कॉलेजों का भी पक्ष सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार ने कहा कि कॉलेजों के पास

धन की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (इ.सू.) के वकील जिवेश तिवारी से इस मामले में सुभी 12 कॉलेजों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कॉलेजों को अगली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए छात्र निधि के पैसे का इस्तेमाल करने के केजरीवाल सरकार इस्तेमाल करने क कजरावाल सरकार के आदेश पर रोक लगा थी। कोर्ट ने



हुसू की ओर से दाखिल याचिका पर देश दिया था। दिल्ली सरकार ने

छात्र निधि से वेतन देने का निर्देश कि छात्रों के कोष को लेने के बजाय

चाहिए। इस् की ओर से वकील जीवेश तिवारी ने कोर्ट से कहा कि छात्रों से फंड इकट्ठा किया जाता है और सरकार से कुछ नहीं आता है। इसू ने सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका में कहा है कि छात्र निधि का इस्तेमाल, छात्र कल्याण के अलावा किसी अन्य काम के लिए नहीं किया जा सकता। सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए गया है कि छात्र निधि का इस्तेमाल शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन व भत्ता देने के लिए नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने 16 अक्तूबर को उसके द्वारा वित्त पोषित 12 कालेजों को अपने शिक्षकों व

जस्टिस ज्योति सिंह ने दिल्ली सरकार के उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देने के उसके निर्देश पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था। उन्होंने सरकार से कहा जारन का पानस लान का जाउड़ा करना पूर्व था उच्छान सरकार से कह कि पहले हलकानामा दाखिल कीजिए और इसके बाद सभी 12 कलिजों का भी पक्ष सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार ने कहा कि कॉलिजों के पास धन की कोई कमी नहीं है।

आप पर निगमों की छवि धुमिल करने का प्रयास : प्रवीण शंकर **नई दिल्ली. 02 नवाबर** दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि यत 4-5 माह से राजनीतिक द्वेष के कारण आम आदमी पार्टी एवं उसके प्रवक्ताओं ने

ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री तक भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक संवाद, आरोप-प्रत्यारोप का स्तर आम आदमी पार्टी नेताओं ने इतना गिरा दिया है कि ऐसा

प्रभारति के सिंदी का किसी चूटियां किसी दूरदाज खाप पंचायत में राजनीतिक पैतरेबाजी कर रहे हों। यह एक बेहद दुखद स्थिति है, दिल्ली को जनता इसे बहुत गम्भीरता से देख रही है और आम आदमी पार्टी को

अपने इन अनर्गल बयानों की आगामी नगर निगम चुनावों में भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2007 से लगाता नगर निगम में सेवारत है और इस अन्विध में लगातार क्रांग्रेस चा फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। इन 13 वर्षी में जनता ने हमें दो

आदमा नाटा को निर्माण ने स्वाम है जो उन्हों ने उन्हों है जो असाण है। इस अवधि में खाग्निस एवं आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित नगर निगमों को असफ़ल करने के लिये फंड रोकने का ओख़ा डचकंड़ा अनेक बार अपनाया

है और आज भी अपनाया हुआ है। चालू वित्त वर्ष आधा हो चुका है पर इस वर्ष का एक तिहाई फंड भी नगर निगमों को नहीं मिला है। एक ओर तो दिल्ली सरकार के द्वारा फंड रोक नगर निगमों को आर्थिक रूप से पंगु

बनाया जा रहा है वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आधारहीन आर्थिक

बनाया जा रहा है यह स्तियार कारा जारना भार आबार कारा आबारिका आयारिक चंदालों के अर्जन आरोप लगा कर नगर निगमों एवं उनको प्रशासित कर रहे भाजपा नेताओं की छवि धूमिल करने का निरंतर अभियान चला रही है। इस नकारात्मक अभियान के प्रमुख सुत्रधार हैं आम आदमी पार्टी नेता

हा इस निर्माणक सामित्रा चार के जुड़े हुए तुम्बार हु आ जाने जाने का स्त्री स्त्रीत विद्यायक सीर्पण भारद्वाज एवं नेता तुर्पीण पाठक जो निरंतर छुठे, तब्बहीन, भ्रामक आरोप लगाते हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शांकर कपुर ने कहा है कि इसी भ्रामक अभियान क्रम में आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कल्

ली नगर निगम के भाजपा नेतत्व पर एक अनर्गल आरोप लगाते हुऐ प्रति वर्ष 1400 करोड़ के सम्पत्ति कर राजस्व के गबन का दोष लगाया है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं ।-bjpdelhinew@gmail.com

करने को कहा था। इन कॉलेजों के कार्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है। इसू से याचिका में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन के लिए छात्र निधि के इस्तेमाल के सरकार के फैसले को मनमाना, गैर कानूनी बताते हुए रहकरने की मांग की। डीय से संबद्ध इन 12 कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है। ये सभी कॉलेज दिल्ली सरकार से 100 फीसदी वित्त पोषित है। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, डॉ. भीम राव अम्बेडकर

कॉलेज, भास्कराचार्यं कॉलेज ऑफ एप्लाइड साईसेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, अदिति महाविद्यालय विद्यालय, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोट्सं साइंसेज, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महार्ष वाल्मीकि अग्रसन कालज, महाप बाल्मात कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजपुर कॉलेज ऑफ एलाइड साइंसेज फॉर चुमेन और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हैं।

### खाकी वर्दी पहन कोविड-19 नियमों के उल्लंघन में चालान काटने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली, 02 नवम्बर दिल्ली की भारत नगर पुलिस ने खाकी वर्दी पहनकर कोविड-19

नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने निवमा के उल्लेखन पर पालान कोटन के आरोप में उपेंद्र नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। जांच में माल्म हुआ कि है आरोपी ने सिविल डिफेस में भर्ती का फॉर्म भरा हुआ था और

इसलिए वर्दी सिलाई थी। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात अशोक विहार फेज-4 स्थित एसएफएस फ्लैट के गेट पर सिक्वोरिटी गार्ड नरेंद्र कुमार ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की कार से खाकी वर्दी पहने युवक निकला। उसने गार्ड को अपना परिचय सिविल डिफेस वॉलॉटियर उपेंद्र कुमार के तीर पर दिया और कहा कि कार में साहब बैठे हैं जो रात में कोविड-19 से जुड़े उल्लंघन का चालान करने निकले हैं। दर्ज कॉलोनी में घुस गया और बाहर खड़े लोगों के चालान काटकर रुपये जमा करने लगा। इस दौरान उसने 14 से अधिक चालान काटे। रास्ते में एक युवती मिली, जिससे उपेंद्र ने मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान किया। इस बीच सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शक हुआ तो उसने उपेंद्र से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वह कार से भाग निकला। इसके बाद घटना की जानकारी पलिस को दी गई।

पीड़ित की शिकायत पर भारत नगर थाने में धोखाधड़ी आदि की धाराओं में एफआईआर दर्ज़ कर ली गई। साथ ही एसएचओ मोहर सिंह मीणा के नेतृत्व में टीम बनाई गई। एसआई आनंद सिंह को युवती से आरोपी तपेंद्र का मोबाइल नंबर मिल गया। फिर इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने भलस्वा डेयरी इलाके में छापा मारकर शनिवार को उपेंद्र को



पूछताछ में मालूम हुआ कि वारदात में प्रयुक्त कार उपेंद्र के पिता के नाम पर है जिनकी छह माह पहले मीत हो चुकी थी। आरोपी ने बताया कि उसने सिविल डिफेस में भर्ती के लिए फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन अभी भर्ती नहीं हुई है। उसने सिविल डिफेंस वालों हुई हैं। उसने सिविल डिफस करा को चालान काटते हुए देखा तो उसे यह उपाय सुझा। इसके बाद वह अपने खुद चालान काटता। पुलिस अब रमित की तलाश में छापेमारी कर रही है। विजिलेंस अधिकारी बनकर एक शख्स ने एसएचओ को फोन कर केस की जांच प्रभावित करने की कोशिश की। जांच में मामला सामने आने पर बवाना बाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार, एक साल पहले बवाना थाने में एक महिला

अशोक विहार फेज-4 स्थित एसएफएस फ्लैट के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र कुमार ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की कार से खाकी वर्दी पहने युवक निकला। उसने गार्ड को अपना परिचय सिविल डिफेंस वॉलंटियर उपेंद्र कुमार के तौर पर दिया और कहा कि कार में साहब बैठे हैं जो रात में कोविड-19 से जुड़े उल्लंघन का चालान करने निकले हैं।

ने पित और ससुराल के लोगों पर दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई थी।पुलिस अभी जांच कर रही थी। इस बीच तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर धर्मदेव के मोबाइल पर एक शख्स का फोन आया। उसने खुद को बाराखंभा स्थित विजिलेंस विभाग

बातचीत के दौरान इंग्पेक्टर धर्मदेव को शक हुआ तो उन्होंने इंस्पेक्टर वीरेंद्र मोर से खुद ही बात की जिससे पता चला कि उन्होंने कोई कॉल नहीं की थी। इसके बाद वीरेंद्र मोर ने अपने विभाग में पहले इसकी शिकायत की। फिर बवाना थाने में भी एफआईआर का एसएचओ विरिद्र मोर बताया। साथ ही दर्ज एफआईआर की जांच को प्रमावित करने की कोशिश की।

### दो वाहनों को एक ही नम्बर परिवहन कार्यालय में लापरवाही या भ्रष्टाचार

मुँ दिल्ली, 02 नवम्बर दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख नंबीन कुमार ने कहा कि गत दिनों दिल्ली रेएक ही वी.आई.भी, फैसी नम्बर प्लेट वाली दो गाड़ियों के होने का मामला ट्रैंफिक पुलिस के चालान के बाद सामने आग है जो दिल्ली सरका के प्रस्वहन विभाग के भ्रष्टाचार और लागरवाड़ी की ओर तो इंग्लिस करता के प्रस्वहन विभाग के भ्रष्टाचार और लागरवाड़ी की ओर तो इंग्लिस करता

ही है पर साथ ही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की भी खतरे में डालता है। नवीन कुमार ने कहा है की ऐसे भी समाचार सामने आए हैं जहां परिवड़न विभाग मुख्कालय पढ़े कोईश कार्योलकों ने एक ही नंबर के ने बाहनों को दे दिया है और अब अधिकारी निजी स्तर पर यह नंबर बापस बारुन के द दियाँ। के पत्र अब अध्यक्षारा ानजी स्तर पर यह नवर वायर करवाने में लगे हैं। यह एक गम्मीस मामला है जो दिल्ली के परिवहन मंत्री के कार्यालय में भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है और इसकी जांच आवश्यक है। दिल्ली गाजपा मांग करती है कि दो वाहनों की एक ही नेयह दिए जाने की उच्च स्तरीय सत्तर्कता जांच हो और ऐसे सभी पंजीकरण रह कर इस मामले के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो।

#### बवाना अग्निकांड

#### आरोपी मनोज जैन एक बार फिर पटाखा फैक्ट्री चलाते हुए गिरफ्तार

हुँ हिल्ली, 02 प्रवास्त्र (ह.स.) दिल्ली के बवाना अभिनकांड के मुख्य आरोपी मानोज जैन को एक बार फिर अबैध पटाखों को फैकड़ी चलाने के आरोप में मिरफ्ता किया गया है। हालांकि, इस बार वह हरियाणा के कुंडली में अबैध पटाखों की फैकड़ी चला रहा था। छोटे-छोटे बल्डे इस फैकड़ी में काम कर पह थे। इससे पहले जनवरी 2018 में बनाना में यह अबैध पटाखों की फैकड़ी चला रहा था,

में वह अर्थिय पटारों की फैसटी चला रहा था, जहां अचानक लगी आग में 17 लोगों की मौत हो गई थी। बहरहाल, वह जमानत पर बाहर था। पीड़ित पक्ष के बक्तील प्रवीप छत्री इस आरोपी की जमानत पर करने के लिए रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। वकील खत्री ने बताया कि आरोपी मनोज जैन को रविवार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। रोहिणी कोर्ट से वह सशतं जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन उसने एक बार फिर लोगों की जान से खेलने का प्रयास किया है। वह इस बार अदालत से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जमानत पर बाहर आने के बाद मनोज जैन ने अपनी इसी काली करत् को जारी रखा। बस इस बार ठिकाना बदल लिया। इस बार उसने पटाखे बना-का जात पंचा निसंह स्था ते उन्होंना ने अपनि होते हैं के लिए हिरियाणा के कुंडली को चुना बढ़ी, बबाना अनिवर्कांड में अपनी की जान गंबा चुके पीड़ित परिवर्तों का कहना है कि आरोपी मनोज जैन के बहुत रस्सुब वालों लोगों के साथ संबंध हैं। इसलिए उसने इतनी हिमाकत दिखाई कि दिल्ली में 17 लोगों को मीत के जिम्मेदार ने बेचड़क दूसरी जगाड पटाखों की एक बढ़ी फैक्ट्री खोल ली। इस फैक्ट्री में छोटे-छोटे बच्चे व महिलाएं काम करती हुई पाई गई हैं। दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों ने पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं अपनी 20 वर्षीय बहन को इस हादसे खो चुके हरचरण का आरोप है कि पुलिस की सह पर ही उसने दोबारा यह कृत्य किया है।

दिल्ली दंगे मामला

### कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार

नुई दिल्ली, 02 नवम्बर (ह.स.) उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगी के मामले में अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदाशिक द्या के भागल में अवराग न सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर शिकायत पर हत्या का मुकदम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन देशों का शिकार कने एक व्यक्ति ने अदालत में शिकायतपत्र व्यक्ति के कहा शां कि उसकी दुकान व मकान लूटा गया था। उसी दौरान उसने देखा था कि भीड़ ने बुकें वाली एक महिला की हत्या कर असका श्रव मांगीरथी विदार नाले में फेक दिया था। हालांकि, पुलिस की तरफ से कहा गया था कि यह आरोग नेजुनियाद हैं। कड़कड़ हुमा स्थित मेट्रोगीलटन उसका अरब भागाच्या विद्वार नाल म फक हिरदा था। हालाकि, पुल्स का तरफ से कहा गया था कि नह आरोप नेबुलियाद हैं। कड़क हड्डमा स्थित मेट्रीपॉलिटन प्रजिस्ट्रेट राकेश कुमार की अदालत ने सोमवार को इस मामले में दिल्ली पुल्स को फटकार लगाते हुए कहा कि बगैर जांच वह आरोपों को गलत केने बता स सकते हैं। इस मानले का शिकातनकतां खुद देगों का पीड़ित है। ऐसे में किसी अज्ञात महिला की हत्या कर उसके शब को नाले में डालने की बात को बिना अज्ञात माइली को हत्या कर उसके शाव का नाल म डालन को बात का बाना म तप्तिश्र झुटलाम केसे जा सकता है । पुलिस को पहले तथ्यों की जोच करती चाहिए। अदालत ने कानूनी प्रायक्षन का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी संज्ञानीय अपराध की सुचना मिलने पर पुलिस को पहले एफआईआर उर्वे करने एवं उसके बाद मामले को जांच कर रिग्रेट ऐश करने का नियम है। अदालत में दायर शिकायतपत्र में शिकायतकर्ता ने कहा है कि यह घटना 24 अवदालत म दावर शिकावपर में शिकावपर्तता ने कहा है कि वह घटना 24 मनवरी 2020 की है। मारिपरी बिक्त पुलिया के पास ही उसका घर व दुकान है। एक समुदाय विशेष के लोगों ने उसके घर व दुकान पर हमला बोल दिया था। उसकी दुकान लूट ली और किर दुकान में आग लगा दी। उसके घर में बटी की शादी के लिए जुटाए पर सामान, नकरी व जेवरात को लूट लिया गया। हालांकि, इस बीच उसने खुद को अपने परिवार को एक अलग कमरे में बंद कर लिया था, जिससे वह बच गया, लेकिन इस घटना से पहले उसने देखा था कि इन दंगाइयों की भीड़ ने एक अज्ञात बुकें वाली महिला को बुरी तरह घायल कर दिया।

### दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हुई

महालक्ष्मी ब्यूरो नई दिल्ली, 02 नवम्बर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने सोमवार को भाजपा और कग्निस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है, लेकिन विपक्षी दल इसे मान नहीं रहे।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वार्नुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (सफर) के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी रविवार को बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है, जो कि इस मीसम का अधिकतम है। इससे पहले शनिवार को प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 32 प्रतिशत, शुक्रवार को 19 प्रतिशत और गुरुवार को 36 प्रतिशत थी।

गोपाल राय ने पत्रकारों से कहा



कि हम बार-बार कह रहे हैं कि दिल्ली में दिवाली के आसपास प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के लिए पराली जलाना एक प्रमुख कारण है. लेकिन भाजपा और कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण के पराली जलने की हिस्सेदारी चार से छह प्रतिशत है, जबकि आंकड़ों के अनुसार यह 40 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार

होने वाले प्रदूषण और धूल प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव पर अंकुश लग प्रयास कर रही है। 'सफर' के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल एक नवम्बर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत थी। अमेरिकी अंतरिक्ष

मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड

CIN: L74899DL1994PLC057941
पंजीकृत कार्वाराव : 18/14, इल्ल्यू द्वंग्न, प्रतांत वाग, वर्रेष्टल्ली -110005 प्रतेन : 49:101-141450121
ई-मेल moongipas@gmail.com वस्तारहः : www.moongipa.net सूचना
सेबी (स्तिरिटंग द्विपत्यों एवं प्रकटीकरण आयश्यकताओं) विवित्तम 2015 के विजित्तम 20 एवं 47 के अनुपालन में, एतट् हवा सूचित विक्रय जाता है कि कम्पनी के विरक्षक संज्ञत की बैठक मंत्रवार्ता, 10 नवंतम 2020 को होगी, विवास क्यान के 30 सर्वत्वय 2020 को सम्माप्त तिमात्री एवं हमात्रां के स्वतंत्र अनअवेकियत वित्तीय

परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा। निवेशक इस संबंध में और शिवरण के लिये कम्पनी की वेबसाइट wm moongipa.net और स्टॉक एक्सचेंन की वेबसाइट www.bseindia.com उपलब्ध हैं। कुते मृगिष्पा सिक्बोरीटीज लिगि

कृते मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटिड ०२ता/-संजीव जैन कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मूंगिप्पा केपिटल फाइनेंस लिमिटिड

CIN: L6593DL1987PLC26869

पंजीकृत कार्यलेव : 18/14, उब्ल्यु हैं प्र. पूसा लेन, करोल बाग,
नई हिल्ली-110005 फोड़ 101-1450121

ई-मैस लाठालोकुक ब्रिक्साटिक चेबसाइट: www.monglpa.com
स्पना
सेबी (लिस्टिन विल्यो एवं प्रकटिकण आयरककाओं) विनित्य 2015 के
विनित्य 29 एवं 47 के अनुसावन में, एतह झार सुचित क्रिया जाता है कि कम्पनी
के 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाठी एवं प्रकाशों के स्वतंत्र अनअकेब्रित विसीय
संगामों पर विचार कर स्वीकृत किया वापा।
निवेशक इस संबंध में और विवारण के लिये कमानी की वेबसाइट www.monglpa.com और स्टॉक एससर्चन की वेबसाइट www.bselnda.com एर
अराज्य है।

दिनांक : 02 नवंबर 2020 स्थान :दिल्ली

युलशन आहुँजा कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

### CAPITAL FINVEST LIMITED

ABHIJIT TRADING CO LTD

is hereby given Directors of the Cr stay, 11" November 19th, Offi-

By order of the Board For Abhiji Trading Co Ltd Sd-Akshay Khare Company Secretary & Compliance Officer

Front let shratwan landeren Website www.shramapitania Pt. 011-414801 NOTICE 29 road

तस्वीरा म ।दख रका च ... और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के

बड़े हिस्सों में पराली जल रही है। गोपाल राय ने कहा कि नए आयोगों के गठन से अधिक जरूरी जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करना है। केन्द्र ने

हाल ही में एक अध्यादेश के माध्यम से एक नया कानून पेश किया था, जो

वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास

के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली आयोग का

गठन करता है।

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED

india.com. By order of the Board Textiles (India) Limited Sdi

Rawi Kumar Dhaker Company Secretary & Place: Gurugram Company Secretary & Carrollace Officer Date: 92.11,3929 Convenience Officer Date: 92.11,3929

SHRI NIWAS LEASING AND FINANC LIMITED CON- LIMITED